संख्या-07/2022/6/12/73/47-का-2-2022टी0सी0-IV

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. **समस्त विभागाध्यक्ष,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 04 मई, 2022

विषयः- उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवॉ संशोधन) नियमावली-2021 के प्रख्यापन से पूर्व के विवाहित पुत्रियों आदि को मृतक आश्रित के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

कार्मिक विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-6/2021/6/12/73-का-2-2021टी0सी0-IV/2021, दिनांक 12-11-2021 द्वारा उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवॉ संशोधन) नियमावली-2021 प्रख्यापित की गयी है, जिसके द्वारा नियम-2(ग) में ''कुटुम्ब'' की परिभाषा के अन्तर्गत उप नियम-(तीन) में **पुत्रियां (जिसमें दत्तक पुत्रियां सम्मिलित है) और विधवा पुत्र वधुएं** का प्राविधान किया गया है। उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

2- उक्त नियमावली के प्रख्यापन के बाद कार्मिक विभाग में विभिन्न विभागों द्वारा निम्नवत् बिन्दु पर परामर्श हेतु प्रकरण प्राप्त हो रहे है।

" उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवॉ संशोधन) नियमावली-2021, दिनांक 12-11-2021 को प्रख्यापित की गयी है, जो तुरन्त प्रवृत्त होगी का उल्लेख किया गया है, परन्तु प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की आश्रित विवाहित पुत्रियों द्वारा जिन प्रकरणों में दिनांक 12-11-2021 के पूर्व से ही अपने मृतक पिता/माता के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्थान पर मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन की मांग की जा रहीं है, के प्रकरणों में उक्त संशोधन के आधार पर ही सेवायोजन की कार्यवाही की जायेगी अथवा नहीं"

3- इस संबंध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवॉ संशोधन) नियमावली-2021 के उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (ग्यारहवॉ संशोधन) नियमावली- 2014 के प्रस्तर- 5(1)(तीन) के अनुसार मृतक आश्रित के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु कि मृतक आश्रित द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से 05 वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन किया जाना आवश्यक है। परन्तु जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है वहां अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

4- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवॉ संशोधन) नियमावली-2021 से आच्छादित प्रकरणों में भी उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (ग्यारहवॉ संशोधन) नियमावली- 2014 के "प्रस्तर-5(1)(तीन) का उपबन्ध जो कि वर्ष 1993 से ही प्रवृत्त है, प्रभावी होगा।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 07/2022(1)/6/12/73/47-का-2-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को संलग्न नियमवाली की आवरण पत्र सहित 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय कुमार संखवार

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।